विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। –अज्ञात

हम देश के नागरिक यह स्वीकार नहीं करेंगे कि विदेशी फर्जी मतदाता, भारत के भाग्य विधाता बनें (भाग-2)

पूर्व में दिनांक 25 जुलाई 2025 के राष्ट्रदूत के अंक में उपरोक्त शीर्षक से एक सम्पादकीय लेख प्रकाशित हुआ। वर्तमान् लेख उस लेख का दूसरा भाग है।

पूर्व के लेख में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि विशेष सघन निरीक्षण की कार्यवाही में चुनाव आयोग ने यह पाया है कि बिहार की ड्राफ्ट इलेक्ट्रोरल रोल में 66 लाख मतदाताओं ने 22 लाख वे लोग हैं जो मृतक हैं, 36 लाख वे हैं जो अन्य स्थायी स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं अथवा जिसका कोई अता पता नहीं है। एक लाख ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अन्तिम तिथि तक अपने फार्म भरकर वापिस नहीं किये गये हैं। हाँ इनकी वास्तविक संख्या का पता 1 अगस्त 2025 के बाद स्क्रूटनी समाप्ति पर पता चलेगा। यह भी सच है कि वास्तविक (ठाहल्हा) मतदाता के नाम 1 अगस्त 2025 से 1 सितम्बर 2025 के मध्य, जोड़े भी जा सकते हैं। 7 लाख मतदाता जो Multiple Places पर पंजीकृत हैं, उन्हें केवल एक स्थान पर रखा जावेगा।

ये रिट् याचिकायें कई व्यक्तियों अथवा संस्थाओं आदि ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की हैं जो जेरकार हैं। मुख्य याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिवव रिफोर्म की है जिसमें प्रशान्त भूषण सीनियर एडवोकेट पैरवी कर रहे हैं। देश के सभी यशस्वी एडवोकेट इन याचिकाओं में विभिन्न याचिकाओं में पैरवी कर रहे हैं जिनमें मुख्य सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी एक हैं। चुनाव आयोग की ओर से पैरवी करने वालों में सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी हैं।

जवाब व बहस के दौरन चुनाव आयोग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य की मतदाता सूची का विशेष सघन निरीक्षण की प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) में दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत् की जा रही है जो प्रक्रिया विधि सम्मत है। दिनांक 28 जुलाई 2025 की कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के समय कहा कि अधार कार्ड व ईपीआईसी कार्ड पुनरीक्षण के समय देखे जा सकते हैं, क्योंकि इनके बाबत यह धारणा बनाने का अधिकार है कि वे सही हैं। दिनांक 28 जुलाई 2025 को खण्डपीठ ने स्थगन आदेश देने से इन्कार कर दिया। इसका अर्थ था कि चुनाव आयोग 1 अगस्त 2025 तक अपनी ड्राफ्ट Electoral Roll अपनी यथोनिश्चित तारीख तक प्रकाशित कर सकते हैं।

दिनांक 28 जुलाई 2025 की केस की तारीख दिनांक 29 जुलाई, 2025 को कुछ देर सुनवाई के बाद स्थगित कर दी गई, क्योंकि खण्डपीठ के सदस्य जस्टिस सूर्यकान्त उस दिन एक अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त थे। खण्डपीठ के दूसरे न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची हैं। दिनांक 28.07.2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मसोदा (ड्राफ्ट) मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वह चुनाव आयोग की विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक बार में अन्तिम निर्णय करेगा।

दिनांक 28.07.2025 की सुनवाई के दौरान खण्डपीठ ने दो मुख्य सुझाव दिये वे इस प्रकार हैं:-

(1) जस्टिस सूर्यकान्त ने सुझाव दिया कि व्यापक रूप से निष्कासन के बजाय व्यापक रूप से समावेश की दिशा में काम होना चाहिये।

(2) खण्डपीठ ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि वह बिहार में पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत् आधार व वोटर आई स्वीकार करना जारी रखें। कोर्ट ने कहा जहां तक राशन कार्ड की बात है वे आसानी से नकली बनाये जा सकते हैं। यह भी कहा गया कि कोई भी डोक्यूमेण्ट फर्जी बनाया जा सकता है।

दिनांक 29 जुलाई, 2025 की बहस भी बहुत रोचक रही।

एडीआर के एडवोकेट ने चुनाव आयोग के एडवोकेट के उस स्टेटमेण्ट की ओर खण्डपीठ का ध्यान आकर्षित किया कि जब 65 लाख मतदाताओं ने जब फार्म ही नहीं भरा, क्योंकि वे या तो स्वर्गवासी हो गये अथवा कहीं चले गये तो क्या उन तथाकथित लोगों को पुनः अपना नाम लिस्ट में दाखिल कराने के हेतु कार्यवाही करनी होगी। खण्डपीठ के न्यायाधीश सूर्यकान्त ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है अतः उसकी कार्यशैली कानूनानुसार ही होनी चाहिये और यदि ऐसा नहीं हुआ तो "We are here, we will hear you" keânkeâj Assured किया। यदि तथाकथित मतदाताओं का Mass Exclusion हुआ तो हम उचित कार्यवाही करेंगे। न्यायाधीश बागची ने कहा 15 जीवित व्यक्तियों को जिन्हें मृतक बताया है, उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे तो हम विचार करेंगे। चुनाव आयोग के सीनियर एडवोकेट राकेश स्थिति को स्पष्ट करते हुये कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट में कोई संशोधन होता है तो मतदाताओं आपत्ति दाखिल करने का और सक्षम अधिकारी को उसे निर्णित करने का अधिकार है।

यह सच है कि चुनाव आयोग को नागरिकता के निर्णय का अधिकार नहीं है और न वह स्वंय यह मानता है, किन्तु उसे यह देखना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है, वह भारत का नागरिक है या नहीं और वह वही डोक्यूमेन्ट मांग रहा है जो नागरिकता के लिये आवश्यक है।

खण्डपीठ ने सुनवाई के बाद 12-13 अगस्त 2025 की तारीख अन्तिम सुनवाई के लिये नियत कर दी।

इस प्रकार इस प्रसंग में दिनांक 12-13 अगस्त 2025 को बहस होगी। इन दिनों दोनों पक्षों के सीनियर एडवोकेट्स ने जो बहस की, जो आपत्तियाँ उठाईं तथा जो विशेष आपत्तियाँ रिट् याचिकाओं तथा चुनाव आयोग ने उठाई हैं, हम यदि मंथन करें तो निम्नलिखित Issues पर बहस हो सकती है:-

(1) चूंकि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है और जो व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 5(क) के अनुवार भारत में जन्मा था, (ख) जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा था या (ग) भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासी है तथा जो प्रारम्भ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में साधारण तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा और अनुच्छेद 6 से 11 के अनुसार जिसने भारत की नागरिकता प्राप्त की है, वही व्यक्ति मतदान कर सकता है। इस प्रकार नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के लोग जो वहां के निवासी हैं मतदान के अधिकारी नहीं हैं। इस आधार पर उनके डोमीसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड व राशन कार्ड जो उन्होंने प्राप्त किये हैं वे फर्जी हैं।

(2) सुप्रीम कोर्ट अथवा हाईकोर्ट में वही व्यक्ति रिट् याचिका दायर कर सकता है जो भारत का नागरिक है और जिसे संविधान के चेप्टर -III के अधिकार हैं जो याचिकायें सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं पीआईएल हैं और ऐसे व्यक्तियों की ओर से हैं जो देश के नागरिक नहीं हैं अथवा जीवित ही नहीं हैं अथवा अन्य राज्यों में चले गये हैं यानी इनका सम्बन्ध चेप्टर -III के अधिकारों से नहीं है।

(3) चूंकि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसे Electoral Roll के बाबत अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं अतः ऐसी संस्था के विरूद्ध रिट् याचिकायें जो आधार याचिकाओं में दिये हैं, उनके बाबत हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, क्योंकि Electoral का विषय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार है।

(4) चुनाव आयोग ने इस विषय को काफी गंभीर माना है। उसका मानना है कि यदि उसके अधिकारियों ने विशेष सघन निरीक्षण की कार्यवाही में नाम मतदाता सूची से हटा दिया है वह नागरिक मतदाता है, उसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व नियमों के अनुसार अपील का अधिकार है।

(5) आधार कार्ड व राशनकार्ड आदि पब्लिक डोक्यूमेन्टस हैं तो भी ये नागरिकता साबित करने के हेतु सारभूत व रेलेवेन्ट नहीं है।

(6) बंगाल, राजस्थान आदि राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं अतः यह वाद विषय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में शीघ्राति निर्णित होना आवश्यक है। विषय गम्भीर है अतः इस केस को संवैधानिक पीठ द्वारा निर्णित किये जाने के बाबत भी विचार होना आवश्यक है।

(7) यह सच है कि चुनाव आयोग को नागरिकता के निर्णय का अधिकार नहीं है और न वह स्वंय यह मानता है, किन्तु उसे यह देखना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है, वह भारत का नागरिक है या नहीं और वह वही डोक्यूमेन्ट मांग रहा है जो नागरिकता के लिये आवश्यक है।

दिनांक 01.08.2025 को चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता पुनरीक्षण अभियान की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है। इसे अपने अधिकारिक वेबसाइट पर सांय 3 बजे अपलोड किया गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों को इसकी कॉपी भेजी गई है। इस लिस्ट में नये नाम जोड़े गये हैं। लोगों के नाम काटे भी गये हैं। 20 लाख से अधिक के नाम काटे गये हैं, जिन्हें मृत होना पाया गया है।

चुनाव आयोग ने सूचित किया है कि सभी ऐसे लोग अथवा उसने परिवार जन, जिनके नाम नहीं हैं वे फार्म भरकर बीएलओ अथवा समक्ष अधिकारी को भेज दें, कानूनानुसार सुनवाई कर जाँच की जावेगी और यदि उन्हें मतदान का अधिकारी पाया गया तो उनके नाम जोड दिये जावेंगे। 1 सितम्बर 2025 तक संशोधन कराने का अवसर दिया है। 8 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम दो जगह पर हैं, उन्हें एक जगह वोटे देने का अधिकार होगा। कई ऐसे लोग हैं, जो अपना गांव (स्थान) छोडकर चले गये हैं। कई लाख ऐसे हैं जो बांग्लादेश व म्यांमार के नागरिक हैं। जाँच का काम जारी है।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द् जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

टैरिफ़ का जाल क्या भारत का निर्यात संकट वास्तविक है

सुनील दत्त गोयल

जब डोनाल्ड ट्रम्प ने 'राष्ट्रीय आपातकाल' का हवाला देते हुए भारतीय निर्यात पर 25-26 प्रतिशत टैरिफ लगाया, तो प्रतिक्रिया तेज़ थी: बाज़ारों में अफरा-तफरी मच गई, निर्यातकों ने राहत की माँग की, और टिप्पणीकारों ने भारत को हाशिये पर बता दिया। लेकिन टैरिफ अस्तित्व का ख़तरा नहीं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था-जो 80 प्रतिशत घरेलू माँग पर निर्भर है-सालाना निर्यात घाटे में 7 अरब डॉलर का नुकसान झेल सकती है। असली ख़तरा इस बात में है कि भारत इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। अगर वह दबाव में ढिलाई बरतता है, तो इसके परिणाम व्यापार से कहीं आगे तक जाएँगे। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स ($21 अरब निर्यात, 27 प्रतिशत अमेरिका को) को 4-5 प्रतिशत मार्जिन का नुकसान हो रहा है।

अगर हीरे पर छूट खत्म हो जाती है, तो रत्न और आभूषण ($8.5 अरब निर्यात) को अपना 30 प्रतिशत अमेरिकी बाज़ार हिस्सा खोने का ख़तरा है। कपड़ा उद्योग को टैरिफ़-लाभ वाले वियतनाम और बांग्लादेश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गुजरात और तमिलनाडु में रोज़गार ख़तरे में हैं।

कृषि और मत्स्य पालन पर 56 प्रतिशत तक टैरिफ लग सकते हैं। फिर भी, ये नुकसान, चाहे कितने भी कष्टदायक क्यों न हों, भारत को कमज़ोर नहीं करते। दवाइयों को छूट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ 'मेक इन इंडिया' को और भी तेज़ कर सकते हैं। भारत की अमेरिका पर निर्यात निर्भरता जीडीपी का केवल 2.2 प्रतिशत है-वियतनाम के 25 प्रतिशत की तुलना में नगण्य।

अगर भारत विरोध करता है, तो वह 2026 के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों तक बातचीत को आगे बढ़ा सकता है, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बाज़ारों में विविधता ला सकता है, और रूसी तेल का प्रवाह जारी रख सकता है। लेकिन अगर वह पीछे हटता है, तो उसे संरचनात्मक पराजय का खतरा है। अगर भारत पीछे हटता है तो क्या होगा

कृषि क्षेत्र में आत्मसमर्पण:

टैरिफ में कटौती के लिए, भारत पर अपने डेयरी बाज़ार को अमेरिकी कृषि व्यवसाय के लिए खोलने या जीएमओ फसलों को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। इससे ग्रामीण किसान-भारत का सबसे बड़ा मतदाता समूह-बर्बाद हो जाएँगे और राजनीतिक अशांति फैल जाएगी। एक बार अनुमति मिल जाने के बाद, ऐसी पहुँच को वापस लेना असंभव है।

प्रौद्योगिकी पर निर्भरता:

अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक पहुँच से जुड़े समझौते के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हो सकती हैं-रूसी रक्षा खरीद पर प्रतिबंध या स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अर्धचालक कार्यक्रमों पर सीमाएँ। इससे भारत वाशिंगटन की आपूर्ति श्रृंखलाओं में बंद हो जाएगा, जिससे उसकी रणनीतिक स्वायत्तता कमज़ोर हो जाएगी।

रूसी ऊर्जा प्रतिबंध:

अमेरिकी दबाव में, भारत को रूस से रियायती तेल खरीद में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे घरेलू ऊर्जा लागत बढ़ेगी और मुद्रास्फीति से बचाव का एक बड़ा कवच भी खत्म हो जाएगा। इससे उस रणनीतिक साझेदारी को भी नुकसान पहुँचेगा जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को बढ़त दिलाई थी।

और माँगों की मिसाल:

जैसे ही भारत किसी एक क्षेत्र में रियायत देगा, अमेरिका और माँगों पर ज़ोर देगा-जैसे डिजिटल करों में कटौती, जेनेरिक दवाओं पर बौद्धिक संपदा रियायतें, और रक्षा खरीद में पुनर्गठन-जिससे भारत की नीतिगत गुंजाइश कम हो जाएगी।

निवेशक पलायन:

यह कथित आत्मसमर्पण उन निवेशकों को डराएगा जो भारत के स्वतंत्र आर्थिक रुख को महत्व देते हैं। चीन के विकल्प के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के बजाय, भारत को अमेरिकी व्यापार नीति के विस्तार के रूप में देखे जाने का जोखिम है। संक्षेप में, अभी पलक झपकाना टैरिफ को एक बातचीत योग्य अड़चन से एक स्थायी रणनीतिक लगाम में बदल देगा।

भारत के पास अभी भी उत्तोलन क्यों है

प्रतिद्वंद्वी देशों की तुलना में कम टैरिफ दर: भारत की 26 प्रतिशत दर अभी भी चीन के 54 प्रतिशत या वियतनाम के 46 प्रतिशत की तुलना में कम दंडात्मक है।

विविध बाजार: यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के मुक्त व्यापार समझौते व्यापार, विशेष रूप से दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र को पुनर्निर्देशित कर सकते हैं।

ऊर्जा कवच: रूस की तेल बचत-जो सालाना अरबों डॉलर की है-भारत को अपनी ताकत से बातचीत करने का समय देती है।

अमेरिका में कानूनी अराजकता: एक संघीय न्यायालय ने पहले ही ट्रम्प की टैरिफ घोषणा को गैरकानूनी माना है, हालाँकि अपील लंबित रहने तक प्रवर्तन जारी है। यह अनिश्चितता प्रतीक्षा और निगरानी की रणनीति का पक्षधर है।

रणनीतिक खेल

भारत को चाहिए: कृषि रियायतों को हर कीमत पर अस्वीकार करें।

मध्यावधि राजनीति के उत्तोलन को बदलने तक अमेरिकी वार्ता को लंबा खींचें।

यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते में तेजी लाएँ, गैर-अमेरिकी बाजारों का निर्माण करें। रूसी रक्षा और ऊर्जा संबंधों को दोगुना करें, स्वायत्तता को मज़बूत करें। कपड़ा, आभूषण और ऑटो पार्ट्स क्षेत्र के एमएसएमई को ऋण और कर राहत देकर घरेलू निर्यातकों को मज़बूत करें।

निष्कर्ष: झिझक की कीमत

खतरा ट्रंप के टैरिफ़ नहीं हैं-बल्कि भारत द्वारा उनसे बचने के लिए अपनी स्वायत्तता का त्याग करना है। अगर नई दिल्ली दृढ़ रहती है, तो टैरिफ़ पर बातचीत कम हो जाएगी, बाज़ार विविधीकृत होंगे, और अमेरिकी दबाव कम होगा। लेकिन अगर वह डेयरी, जीएमओ फ़सलों या रूस के मामले में झिझकती है-तो वह न सिर्फ़ यह व्यापार युद्ध हारेगी। बल्कि अगले युद्ध से लड़ने की अपनी क्षमता भी खो देगी। यह टैरिफ़ का मामला नहीं है। यह संप्रभुता का मामला है।

-रोटेरियन सुनील दत्त गोयल, महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

शिक्षक बने पर्यावरण प्रहरी: बूंदी के मंडावरा के सरकारी स्कूल में नवाचार से सूरत बदली

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंडावरा के शिक्षकों ने अपने प्रयास और जन भागीदारी से एक ऊबड़-खाबड़ टीले को सुरम्य और हरे-भरे मरु उद्यान में बदल दिया है

अनुप्रिया

विद्यालय में अभियान से पूर्व की फोटो।

अभियान के बाद की फोटो, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि जन भागीदारी और जुनून ने कैसे इस अभियान को पूर्ण सफल बनाया है।

जब राष्ट्र निर्माताओं का संकल्प और जुनून सरकार की प्रतिबद्धता और जवाबदेहिता से मिलता है तो सुशासन की छाया में बंजर जमीन भी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान की प्रतिबद्धता को बूंदी जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंडावरा के कर्मयोगी शिक्षकों ने धरातल पर साकार कर दिया हैं। इन शिक्षकों ने अपने भागीरथी प्रयास और जन-भागीदारी की शक्ति से एक ऊबड़-खाबड़ टीले को सुरम्य और हरे-भरे मरुद्यान में बदल दिया है, जो आज पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा-पुंज बन गया हैं।

संकल्प से सृजन की यात्रा-

भेरूपुरा बरड़ पंचायत के गाँव मंडावरा स्थित यह विद्यालय कुछ वर्ष पूर्व तक एक साधारण टीले पर बना था। प्रधानाचार्य किशन लाल मीणा और शिक्षक गोपाल मीणा की दूरदर्शी सोच ने इस चुनौती को अवसर में बदलने का बीड़ा उठाया और एक सुनियोजित योजना के साथ इस ज्ञान के मंदिर का कायाकल्प शुरू हुआ। मिट्टी डालकर भूमि को समतल किया गया, पक्की दीवारें बनाकर परिसर को सीढ़ीनुमा स्वरूप दिया और फिर शुरू हुआ हरियाली का मिशन।

नवाचार और सहभागिता का संगम-इस हरित क्रांति में केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि विद्यार्थी और ग्रामवासी भी सक्रिय भागीदार बनें। विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाने के लिए 'पौधे गोद लेने' की अनूठी परंपरा शुरू की गई, जहाँ हर विद्यार्थी अपने गोद लिए पौधे की सुरक्षा करता है, उसे पानी देता है। विद्यालय में एक बीज बैंक स्थापित किया गया है जो न केवल स्कूल की जरूरतों को पूरा करता है बल्कि ग्रामीणों और आस-पास के अन्य विद्यालयों को भी निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाकर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को विस्तार दे रहा हैं। ग्रामवासी स्वेच्छा से पौधों की देखभाल और सिंचाई की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वर्तमान में विद्यालय परिसर में अपराजिता, पारिजात और मधु कामिनी जैसे सुगंधित फूलों के साथ-साथ अनेक फलदार और छायादार वृक्ष लहलहा रहे हैं, जो हर किसी को आकर्षित करते हैं।

सिर्फ हरियाली नहीं, समग्र विकास का मॉडल-जब शिक्षकों ने अपना समय और श्रम दिया तो गांव का माहौल बदल गया। सामुदायिक भागीदारी ने नया आकार लिया, पौधारोपण और रखरखाव में स्थानीय आवश्यकता और भौगोलिक मापदंड के हिसाब से नीति बनाई गई, फिजिकल ऑडिट शुरू हुई, पारदर्शिता मानक मूल्य बन गया। आर्थिक सहयोग के एक-एक पैसे का हिसाब रखा जाने लगा जिससे भागीदारों को उत्साह मिला।

स्थानीय समुदाय में इस बगीचे और विद्यालय के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना बढ़ी जिससे शैक्षणिक गतिविधियों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ।

पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ यह विद्यालय शैक्षिक और भौतिक विकास के हर मानदंड पर खरा उतरता है। बंदरों से बचाव के लिए वायर फेंसिंग, स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ और वाटर कूलर, निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक कंप्यूटर लैब, डिजिटल क्लासरूम, समृद्ध पुस्तकालय और दूधिया रोशनी में वॉलीबॉल खेलने की सुविधा वाला खेल मैदान इसे एक आदर्श विद्यालय बनाते हैं।

अनुप्रिया, पीआरओ, बूंदी।

बीकानेर में 11 जर्जर स्कूल दूसरे स्कूल में शिफ्ट होंगे

बीकानेर में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने स्कूलों का सर्वे किया

बीकानेर, (निसं)। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद जर्जर और जीर्ण-शीर्ण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सुरक्षित भवन तलाशे जा रहे हैं। बीकानेर जिले में 11 स्कूलों के विद्यार्थियों की पढ़ाई अब पास के ही दूसरे स्कूलों में होगी।

झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद शिक्षा विभाग की ओर से राज्यभर में जर्जर स्कूलों का सर्वे करवाया जा रहा है। बीकानेर में भी शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने अनेक स्कूलों का सर्वे किया है। सर्वे में 11 स्कूल ऐसे सामने आए हैं जहां स्कूल भवन स्थिति खराब है। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इन स्कूलों को पास के स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। मुक्ता प्रसाद स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम नगर को मुक्ता प्रसाद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिफ्ट किया गया है। यहां अब एक भवन में तीन स्कूलों का संचालन हो रहा है।

पहली पारी में सुबह 7 से 12.30 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मुक्ता प्रसाद के 350 विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। जबकि सेकंड पारी में स्कूल के पांच कमरों में दोपहर 12.30 से 6 बजे तक भीम नगर स्कूल के 250 तथा चार कमरों में राउप्रावि वार्ड नंबर 17 के 137 बच्चों की कक्षाएं लग रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पवनपुरी दक्षिण विस्तार में भी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अंबेडकर कॉलोनी और राउप्रावि पवनपुरी को शिफ्ट किया जाएगा। बीकानेर जिले में करीब 32 सरकारी स्कूल किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। किराए के भवनों में शिक्षा विभाग की ओर से मरम्मत के लिए बजट नहीं दिया जाता है। इसलिए इन स्कूलों की मरम्मत पिछले तीन-चार साल से नहीं हुई है। राउप्रावि कोरियों का बस नंबर स्कूल जर्जर है। इसके लिए भी शिक्षा विभाग नए भवन की तलाश कर रहा है। वहीं इन स्कूलों के मालिक को जर्जर भवनों की रिपेयरिंग के लिए कहा गया है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 2 अगस्त, 2025

सावन मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, विशाखा नक्षत्र प्रातः 6:35 तक, शुक्ल योग रविवार प्रातः 6:24 तक, बवकरण सायं 7:24 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 11:53 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रवियोग रात्रि 4:08 तक है। आज अश्वत्थ मारूती पूजन है। आज अष्टमी तिथि में वृद्धि हुई है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः शुभ 7:35 से 9:14 तक, चर 12:33 से 2:12 तक, लाभ-अमृत 2:12 से 5:31 तक।

राहूकालः 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:55, सूर्यास्त 7:10

मेष

परिवार में व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा।

वृष

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति एवं व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क

घर-परिवार में सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

कन्या

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। आज आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।

वृश्चिक

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी।

धनु

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आज धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।